प्रकरण संख्या 25 / 19 RCMS ID-2019 / 00130 ता0रजू 04.06.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

भरतपाल सिंह पुत्र श्री जितेन्द्रपाल सिंह जाति राजपूत आयु 40 साल निवासी ग्राम किराडी तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली (राज0) — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 24.05.2019 जिसके तहत अपीलाण्ट का उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत हाडौती का आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुये दूसरे डीलर श्री रामबिहारी गुप्ता से राशन सामग्री वितरण कराई जा रही है।

उपस्थिति– 1 श्री रामनिवास पाराशर, एडवोकेट अपीलार्थी
2 श्री अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, प्रतिनिधि प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 09.10.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकरी करौली द्वारा मय टीम दिनांक 07.02.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान बंद पाया जाना, उचित मूल्य दुकान के बाहर स्टॉक बोर्ड एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करना, बिना अनुमति के उचित मूल्य दुकान का स्थान परिवर्तित करना एवं 6.09 क्विं. चीनी का दुरुपयोग करना आदि अनियमितताएं पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा आदेश दिनांक 24.05.2019 द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.05.2019 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, रिकार्ड व साक्ष्य के विपरीत, कतई आरवीट्रेरी, केप्रियसी परवर्स, फाइडिंग पर बगैर किसी ठोस आधार के नियम विरूद्ध गैरकानूनी रूप से पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पेशकर्दा जवाब नोटिस, रोगी उपचार पर्ची व बयान अपीलाण्ट पर कोई गौर व विचार ना कर उसे अनदेखा करते हुऐ निर्णय जैर अपील पारित कर प्राधिकार पत्र प्रार्थी निरस्त करने में विधि व तथ्यों की गंभीर त्रुटि की है। प्रार्थी अपीलाण्ट ने जिला रसद अधिकारी को स्पष्ट अवगत कराया था कि 01.01.2018 को 6 क्विं. चीनी का स्टॉक पोश मशीन में गलत दर्ज कर दिया है जबकि उसके द्वारा कोई चीनी का उठाव नही किया है, ना चालान जमा कराया है, ना ही उसके नाम वितरित किये जाने का कोई रिकार्ड है, ना उसके नाम बिल जारी हुआ है, ना माल उठाने के बिल पर उसके कोई हस्ताक्षर ही है बल्कि उसने मात्र 50 के.जी. चीनी का उठाव किया है जिसका इनवोईस नं. के केपीएल–996 दिनांक 20.06.2018 को जारी हुआ है। यदि 6 क्विं. चीनी वह प्राप्त करता तो ऐसा बिल उसके नाम जारी होता व उसके हस्ताक्षर बिल पर

जिला कलक्टर
करौली

होते। इसके बावजूद भी आप सप्लाई ठेकेदार से रिकार्ड दिखवाले लेकिन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर महज पोश मशीन में गलत इन्द्राज के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। दिनांक 07.02.2019 को प्रार्थी बीमार था जिस बाबत् रोगी उपचार पत्र उसने पेश किया। इस कारण युक्तियुक्त कारण से दुकान जांच के दिवस बंद थी। बीमार होने के कारण ही उसने इमरान खान के हाथ दुकान की चाबी व पोश मशीन भिजवाई थी। यदि अपीलाण्ट की बदनीयति होती या भौतिक सत्यापन गलत होता तो वह चाबी व मशीन नहीं भिजवाता। उसकी सद्भावना पर भी कोई गौर नही किया। यदि वह कोई घोटाला करता तो चाबी ना भिजवाकर गांव से भाग जाता और स्टॉक के अनुसार माल रखकर दुकान की जांच कराता। किसी प्रकार की कोई कमी स्टाक में नहीं थी। मुताबिक रिकार्ड केरोसीन व गेंहू का स्टॉक दुकान में मौजूद था। जब चीनी 6 क्विं. उसने प्राप्त ही नहीं की तो वह दुकान में कैसे मिलती। पत्रावली रिकार्ड पर 6 क्विं. चीनी प्राप्ति का कोई रिकॉर्ड ना होते हुए पोश मशीन में गलत प्रविष्ठि के आधार पर 6 क्विं. चीनी कम मानने में व तथ्यों की गंभीर त्रुटि की है। दुकान खोलने पर प्रतिदिन दुकान के बाहर सूचना बोर्ड लगाया जाता है जिसमें प्रतिदिन स्टॉक व मूल्य जिन्स का अंकित किया जाता है। दुकान बंद होने के कारण बोर्ड अंदर रखा हुआ था जिस बाबत् आक्षेप आधार हीन लगाया है जो चलने योग्य नहीं है। अपीलाण्ट ने किसी भी नियम की अवहेलना नहीं की है। दुकान परिवर्तन की सूचना का प्रार्थना पत्र मय नक्शा रेस्पो. कार्यालय में प्रार्थी ने पेश कर रखा है। वर्षात् में माल भीगने के कारण स्थान परिवर्तन किया गया जो राशन सामग्री की सुरक्षा व पूर्ण गुणवत्ता कायम रखने हेतु किया गया। किसी भी ग्राहक की कोई शिकायत राशन सामग्री वितरण ना किये जाने बाबत रिकार्ड पर आज तक नहीं है। प्रार्थी की वितरण प्रणाली से सभी वार्ड सं. 1 ता 6 ग्राहक पूर्णतया संतुष्ट है। सप्लाई प्राप्त होते ही सबको नियमानुसार वितरण उसके द्वारा किया जाता रहा है। किसी प्रकार के किसी अधिनियम व नियम की कोई अवहेलना व कालाबाजारी उसके द्वारा नहीं की गई है। पूर्ण ईमानदारी से वितरण का कार्य करता रहा है। अकारण 25.02.2019 से उसे वितरण से वंचित किया गया है जिससे उसे कमिशन से होने वाली आय का नुकसान हो रहा है तथा रोजगार के अभाव में इस मंहगाई के समय में गृहस्थी के भूखी मरने की नौबत उत्पन्न हो गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि दिनांक 07.02.2019 को समय 2.30 पी.एम. पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी राशन डीलर की उचित मूल्य दुकान की जांच की गई। मौके पर दुकान बंद मिली। अपीलार्थी डीलर ने जानकार लडके इमरान खान को चाबी एवं पोश मशीन देकर भेजा एवं दुकान खुलवाई। पोश मशीन नं. 19415 है जिससे उपलब्ध स्टॉक की पर्ची निकलवाई। पर्ची अनुसार चीनी 609 के.जी., केरोसीन 222.4 लीटर, गेंहू 11290 के.जी. दर्ज पाया गया। दुकान गोदाम के बाहर उचित मूल्य दुकान का बोर्ड, स्टॉक प्रदर्शन एवं मूल्य सूची बोर्ड लगा हुआ नहीं था। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर चीनी शून्य 0 किलोग्राम, केरोसीन 222 लीटर, गेंहू 11290 के.जी. पाया गया। अपीलार्थी डीलर श्री भरतपाल सिंह उपस्थित हुऐ जिन्होंने बताया कि मेरी दुकान अर्जुन बैरवा के पुत्र रमेश बैरवा के मकान में थी किन्तु इस माह फरवरी 19 का माल / राशन सामग्री मैंने इस दुकान में उतरवाई है क्योंकि रमेश बैरवा की दुकान में बारिश का पानी भर गया। मैं इस नयी दुकान का नक्शा प्रमाणित कराने हेतु मय प्रार्थना पत्र एक–दो दिन में पेश कर दूंगा। इस दुकान के अलावा अन्य किसी दुकान / गोदाम में मेरी कोई राशन सामग्री तथा गेंहू, केरोसीन एवं चीनी नहीं है। सिर्फ इसी दुकान में मेरी राशन सामग्री है। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर ऑडिट किये जाने पर गेंहू व केरोसीन का स्टॉक तो सही पाया गया लेकिन दिनांक 01.01.2018 के प्रारंभिक स्टॉक 6.13 क्विं. चीनी एवं

जिला कलक्टर
करौली

वक्त जांच तक आमद 0.5 क्विं. चीनी सहित कुल आमद 6.63 क्विं. चीनी में से 0.54 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 6.09 क्विं. चीनी का स्टॉक होना चाहिये था। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 6.09 क्विं. चीनी का दुरुपयोग करना पाया गया। उक्त अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जो पूर्णतः विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। दिनांक 07.02.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। जिला रसद अधिकारी करौली को वक्त जांच दुकान बंद पायी गई। वक्त जांच केरोसीन व गेंहूं का स्टॉक सही पाया जाना भी प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। बिना अनुमति के राशन दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन है एवं इससे आम उपभोक्ता एवं जांच दल को भी परेशानी होती है। अपीलार्थी का कथन है कि 6.13 क्विं. चीनी का उसके द्वारा उठाव ही नहीं किया गया है, तब उसका दुरूपयोग किया जाना कैसे संभव है। इस संबंध में जांच किया जाना आवश्यक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 24.05.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली